अध्याय
04

संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका

परिचय

लोकतंत्र में सरकार को तीन अंगों में बांटा गया है

लोकतंत्र के तीन अंग

- विधायिका
- न्यायपालिका
- कार्यपालिका

कार्यपालिका

- सरकार का वह भाग जो नियम कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है
- कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है
- कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी आते हैं

© JCERT not to be republished

कार्यपालिका के कार्य

- कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करना
- सरकारी नीतियों को लागू करना एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अमल में लाना।
- राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करना विभिन्न प्रकार के संधियों एवं समझौतों का निष्पादन करना।
- राष्ट्र का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है परंतु वह किसी युद्ध में भाग नहीं लेता है।

कार्यपालिका के कार्य

- कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करना
- कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है
- सरकारी नीतियों को लागू करना एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अमल में लाना
- सरकारी नीतियों को लागू करना एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अमल में लाना
- राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करना विभिन्न प्रकार के संधियों एवं समझौतों का निष्पादन करना
- राष्ट्र का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है परंतु वह किसी युद्ध में भाग नहीं लेता है।

© JCERT not to be republished

कार्यपालिका के प्रकार

संसदीय सरकार

- संसदीय प्रणाली वाले देश में कार्यपालिका का कार्य राजा या राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है
- किंतु उनकी शक्तियां नाम मात्र की होती है ।
- वह औपचारिक रूप से कार्य करते हैं।
- वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होते हैं जो राजा या राष्ट्रपति के नाम से प्रशासन चलाते हैं,उदाहरण भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा।

अध्यक्षीय सरकार

- अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है।
- सचिव या मंत्रीगण राष्ट्रपति के सलाहकार मात्र होते हैं।
- राष्ट्रपति ही केंद्रीय प्रशासन के उत्तरदाई होता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ब्राजील आदि।

अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली

- संसदीय और अध्यक्षीय दोनों प्रणालियों के संयोजन से बना है।
- इसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियां होती है।
- वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
- दोनों के बीच शक्ति का संतुलन होता है।

© JCERT not to be republished

भारत में संसदीय कार्यपालिका

- भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं।
- राज्य के स्तर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं।
- औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है।
- परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण

- सीधे तौर पर यदि राष्ट्रपति को चुना जाता तो वह बहुत शक्तिशाली बन जाता और फिर तानाशाह निरंकुश भी बन सकता है।
- भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रपति के चुनाव से काफी अव्यवस्था उत्पन्न होगी।
- भारतीय राजनेताओं को ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली का अधिक अनुभव था और उससे प्रभावित थे।
- यह कठिन समय में सफल रहा है और इसमें कोई हानि नहीं है।

© JCERT not to be republished

राष्ट्रपति

- राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं।

- भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रपति के चुनाव से काफी अव्यवस्था उत्पन्न होगी।

  राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शर्तें

  A भारत का नागरिक हो।

  न्यूनतम उम्र सीमा :- 35 वर्ष।

  C) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो।

  D) किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो।

- भारतीय राजनेताओं को ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली का अधिक अनुभव था और उससे प्रभावित थे।

- राष्ट्रपति का कार्यकाल:-A) 5 वर्ष।

- राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया

  A) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है

  B) राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों एवं संसद के सदस्य शामिल होते हैं

  C) कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है ।

© JCERT not to be republished

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

1) जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है।

2) महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ।

3) इस प्रस्ताव को सदन में दो तिहाई से अधिक बहुमत प्राप्त होने पर उनके ऊपर लगाए गए आरोप को दूसरे सदन के द्वारा जांच की जाती है।

4) दूसरे सदन में भी दो तिहाई बहुमत से उनके आरोप साबित होते हैं तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा ।

5) अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है ।

NOTE:- राष्ट्रपति के ही तरह राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं।

राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य

राष्ट्रपति की शक्तियां या कार्य को पाँच भागों में बांटा गया है।

i) राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां

a) प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना

b) अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर करना

(c) भारत के अटार्नी जनरल नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों राज्यपालों राजदूतों एवं विदेशों में राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करना

(d) राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों पर केंद्र का पूरा नियंत्रण होता है

ii) राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

(a) राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है

(b) सदन का सत्र बुलाना स्थगित करना राष्ट्रपति का ही कार्य है

(c) राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है

(d) कानून बनाने के लिए और संसद में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है

(e) अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है

(f) राष्ट्रपति के ऊपर देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है

iii) राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां

a) राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की सजा और किसी भी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है

(b) अपने किसी भी शक्तियों या कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाब देही नहीं है

iv) आपातकालीन शक्तियां

(a) अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र काम करना बंद कर दे तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है।

(b) अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध अथवा विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की

© JCERT not to be republished

अवस्था में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

(c) अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है।

v) राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो शक्तियां प्राप्त है:

i) पूर्ण वीटो - राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख लेता है

ii) निलंबन वीटो - राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने विचार हेतु भेज सकते हैं

iii) जेबी वीटो या पॉकेट वीटो - राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चितकालीन के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है

NOTE:- राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संबंध में किया गया था

भारत के उपराष्ट्रपति

निर्वाचन प्रक्रिया :-

(a) उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं।

(b) मनोनीत सदस्य भी उपस्थित चुनाव में शामिल होते हैं।

(c) चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है।

उपराष्ट्रपति चुनाव की शर्तें

(a) भारत का नागरिक हो।

(b) उसकी आयु 35 वर्ष हो।

(c) *वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो।

(d) किसी लाभ के पद पर नहीं हो।

उप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

(a) किसी गंभीर आरोप के आधार पर उपराष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है।

(b) यदि इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा अपने पूर्ण बहुमत से पास करें और फिर पूर्ण बहुमत से वह लोकसभा से पास हो जाए।

(c) *वह किसी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।

उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य

i) वह आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति को सहयोग देता है।

ii) यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो या गंभीर रूप में अस्वस्थ होने के कारण राष्ट्रपति कार्य न कर सके या ऐसी कोई अन्य परिस्थिति हो तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

iii) वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र को स्वीकार कर सकता है।

iv) वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है इसी नाते उसे वेतन प्राप्त होता है उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं है वह उस कमेटी का सदस्य है जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।

© JCERT not to be republished

मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री

अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने कार्यों को करने में परामर्श एवं सहायता के लिए एक मंत्रीपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति उसी के परामर्श अनुसार कार्य करेंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया

अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा

प्रधानमंत्री चुनाव की शर्तें

i) भारत का नागरिक हो

ii) संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सदस्य ना होने की स्थिति में उसे 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है

iii) न्यूनतम आयु :- 25 वर्ष से कम ना हो

iv) प्रधानमंत्री के कार्यकाल:- 5 वर्ष होता है परंतु इसका कार्यकाल लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर संभव है लोकसभा में बहुमत खो देने तथा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र माना जाता है

प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां

i). प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां

ii). प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है

iii). वह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद को जोड़ने वाली कड़ी है

iv). वह अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है तथा उनमें समन्वय बनाए रखता है

v) वह किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राष्ट्रपति को उसे हटाने का परामर्श दे सकता है

vi). वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष है उसकी बैठक बुलाता है तथा उसके निर्णयों को लागू करता है

vii). वह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है

viii). वह अनेक निकायों जैसी योजना आयोग व अंतरराज्यपरिषद का अध्यक्ष है

ix). वह किसी समय अपना त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है

मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता हैं, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती है

1) कैबिनेट मंत्री

2) राज्य मंत्री

3) उप मंत्री

i) इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होते हैं।

ii) मंत्रीपरिषद में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं।

© JCERT not to be republished

iii) यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ता है।

मंत्री परिषद का आकार

मंत्री परिषद की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।

मंत्रीपरिषद के कार्य

- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं।
- मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री का विभाग प्रधानमंत्री द्वारा आवंटित किए जाते हैं।
- मंत्री परिषद के मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं
- मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है।
- मंत्री परिषद प्रशासन के संचालन के नीति का निर्माण करती है।
- मंत्रिपरिषद राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का हल निकलती है।
- मंत्रिपरिषद की कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- मंत्रिपरिषद बजट तैयार करती है और वित्त मंत्री उसे संसद में पेश करती है।
- मंत्री परिषद के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होता है।

मंत्री परिषद की पदावधि

- मंत्री परिषद है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है
- मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य प्रधानमंत्री के साथ मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे सकता है
- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर उसे बर्खास्त करवा सकता है।
- यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं रह जाता तब उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।

NOTE:-ऐसे ही मंत्रिपरिषद राज्य में भी कार्य करती है। जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

स्थायी कार्यपालिका / नौकरशाही

परिचय

i) नौकरशाही में सरकार के स्थाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी शामिल हैं जो नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।

ii) इसे नागरिक सेवा भी कहा जाता है।

iii) भारत में एक प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है जो राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है।

iv) प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और लागू करने में मदद करें।

नौकरशाही सदस्यों का चुनाव

i) नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं।

© JCERT not to be republished

ii) भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है।

लोक सेवा आयोग

i) लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है।

ii) उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है।

iii) लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी दक्षता और योग्यता के आधार बनाकर की जाती है।

iv) संविधान में समाज के सभी वर्गों को सरकारी लोक सेवक बनने का मौका दिया है।

v) इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है।

NOTE:- ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है।

अखिल भारतीय सेवाओं का वर्गीकरण :-

अखिल भारतीय सेवाएं-a) भारतीय प्रशासनिक सेवा, b) भारतीय पुलिस।

केंद्रीय सेवाएं - a) भारतीय विदेश सेवा, b) भारतीय सीमा शुल्क सेवा

प्रांतीय सेवाएं - a) बिक्री कर अधिकारी

NOTE:- भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है

बहुविकल्पीय प्रश्न

1) भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है ?

A. लोकसभा अध्यक्ष

B. राष्ट्रपति

C. उपराष्ट्रपत

D. प्रधानमंत्री

2) संसदीय प्रणाली में एक मंत्री परिषद होता है जिसका मुखिया कौन होता है ?

A. जिला मंत्री

B. राष्ट्रपति

C. मुख्य न्यायाधीश

D. प्रधानमंत्री

3) राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

A. प्रधानमंत्री B. राष्ट्रपति

C. संसद D. मुख्यमंत्री

4) किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?

A. 32 B. 352

C. 365 D. 356

5) प्रधानमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है?

A. राष्ट्रपति

B. लोकसभा अध्यक्ष

C. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

D. इनमें से कोई नहीं

© JCERT not to be republished

6) उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन अध्यक्ष होता है?

A. लोकसभा B. विधानसभा

C. राज्यसभा D. संसद

7) संघीय मंत्रीपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?

A. राज्यसभा

B. लोकसभा

C. राज्यसभा और लोकसभा दोनों

D. इनमें से कोई नहीं

8) केंद्रीय मंत्रीपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

A. 2 वर्ष B. 5 वर्ष

C. 8 वर्ष D. 10 वर्ष

9) भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है?

A. संसदीय

B. अध्यक्षात्मक

C. अर्द्धअध्यक्षात्मक

D. राजतंत्रआत्मक

10) मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

A. राष्ट्रपति

B. राज्यपाल

C. मुख्य निर्वाचन आयोग

D. प्रधानमंत्री

उत्तर :-(1) B (2) D (3) A (4) D (5) A (6) C (7) B (8) B (9) A (10) B

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

(1) लोकतंत्र में सरकार को कितने भागों में बांटा गया है ?

(2) राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है ?

(3) किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं?

(4) प्रधानमंत्री किस सदन का बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते है?

(5) राज्यपाल अपने राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1) कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं?

2) उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए।

3) देश में वित्तीय आपातकाल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

4) मंत्रिपरिषद से आप क्या समझते हैं मंत्री परिषद के कार्य व शक्तियों का वर्णन करें।

5) लोक सेवा आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

राष्ट्रपति के कार्यों व उसकी शक्तियों का वर्णन करें।

भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है उनके अधिकार व कार्यों का वर्णन करें।

3) राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन करें।

© JCERT not to be republished

पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है।

(क) जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना।

(ख) संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका।

(ग) जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है।

(घ) ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत से समर्थन पर निर्भर हो।

उत्तर- (घ) ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत से समर्थन पर निर्भर हो।

प्रश्न 2. निम्नलिखित संवाद पढे। आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों?

अमित—संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना

शमा—राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए।

राजेश—हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं । चुनाव बाद, संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधामंत्री बने।

उत्तर- हम शमा के तर्क से कुछ सीमा तक सहमत हो सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है; अत: उसे प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। सिद्धान्त रूप से ऐसा है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है व संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुरूप प्रधानमंत्री अपना कार्य न करे व राष्ट्रपति को माँगी गई सूचना न दे तो वह प्रधानमंत्री को हटा भी सकता है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित को सुमेलित करें-

(क) भारतीय विदेश सेवा—जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है।

(ख) प्रादेशिक लोक सेवा—केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और।

(ग) अखिल भारतीय सेवाएँ—जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है, इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है।

(घ) केंद्रीय सेवाएँ—भारत के लिए विदेशों में कार्यरत ।

उत्तर- सुमेलित -

(क) भारतीय विदेश सेवा—भारत के लिए विदेशों में कार्यरत ।

(ख) प्रादेशिक लोक सेवा—जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है।

(ग) अखिल भारतीय सेवाएं—जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है, इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है।

(घ) केंद्रीय सेवाएं—भारत के लिए विदेशों में कार्यरत ।

© JCERT not to be republished

उत्तर- सुमेलित

(क) भारतीय विदेश सेवा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत।

(ख) प्रादेशिक लोक सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है।

(ग) अखिल भारतीय सेवाएं—जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है, इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है।

(घ) केंद्रीय सेवाएं—केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और।

प्रश्न 4. उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार को जारी किया होगा। यह मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है या केंद्र सरकार का और क्यों?

(क) आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि सन् 2004- 05 में तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक निगम कक्षा 7, 10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा।

(ख) भीड़ भरे तिरुवल्लुर—चेन्नई खंड में लौह-अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी। नई लाइन 80 किमी की होगी। यह लाइन पुट्टुर से शुरू होगी और बंदरगाह के निकट अतिपट्ट तक जाएगी।

(ग) रमयमपेट मंडल में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित तीन सदस्यीय उप-विभागीय समिति ने पाया कि इस माह आत्महत्या करने वाले दो किसान फसल के मारे जाने से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे।

उत्तर- (क) यह समाचार तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्रालय जारी किया होगा। क्योंकि राज्य शिक्षा मंत्रालय ही कक्षा 7, 10 व 11 की शिक्षा के विषयों से संबद्ध है।

(ख) यह समाचार केन्द्र सरकार के रेलवे मंत्रालय ने जारी किया होगा जो केन्द्र का विषय है; अतः यह केन्द्र सरकार के अधीन है। यह विषय निर्यात से भी जुड़ा है, यह भी केन्द्र को ही विषय है।

(ग) यह समाचार प्रदेश के कृषि मंत्रालय ने जारी किया होगा। किसानों का विषय राज्य सरकार का है।

प्रश्न 5. प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति-

(क) लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है।

(ख) लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबन्धन- दलों के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है।

(ग) राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है।

JEPC Reference Book for Free Distribution : 2022-23

(घ) गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।

उत्तर– (घ) गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो ।

प्रश्न 6. इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन-सा कथन भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है?

आलोक—प्रधानमंत्री राजा के समान है। वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है।

शेखर—प्रधानमंत्री सिर्फ 'बराबरी के सदस्यों में प्रथम ' है। उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं। सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर हैं।

बॉबी—प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति-निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है।

उत्तर– उपर्युक्त परिस्थितियों में बॉबी का कथन भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रकट करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निश्चित ही अधिक हैं लेकिन उसे सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है।

प्रश्न 7. क्या मंत्रिमण्डल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें।

उत्तर– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमण्डल होगा जो उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डले की सलाह अनिवार्य रूप से माननी होगी। परन्तु संविधान के 44वें संविधान संशोधन में फिर यह निश्चय किया कि राष्ट्रपति प्रथम बार में मंत्रिमण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह सलाह' को पुनः विचार-विमर्श हेतु भेज सकता है परन्तु दुबारा विचार- विमर्श के पश्चात् दी गई 'सलाह' को उसे अनिवार्य रूप से मानना होगा।

प्रश्न 8. कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियन्त्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत-से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियन्त्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं?

उत्तर– संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कार्यपालिका (प्रधानमंत्री व मंत्रिमण्डल) संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। विभिन्न संसदात्मक तरीकों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर लगातार अपना नियन्त्रण बनाए रखती है। इससे कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगती है और जनहित के निर्णय लिए जा सकते हैं। व्यवस्थापिका जनमते—निर्माण से, 'काम रोको प्रस्ताव से व सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियन्त्रण करती है। जो स्वच्छ प्रशासन व जनहित के लिए आवश्यक भी है।

JEPC Reference Book for Free Distribution : 2022-23

प्रश्न 9. कहा जाता है कि प्रशासनिक तन्त्र के कामकाज में बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज्यादा-से-ज्यादा स्वायत्त एजेंसियाँ बननी चाहिए जिन्हें मंत्रियों को जवाब न देना पडे।

(क) क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन ज्यादा जन- हितैषी होगा?

(ख) क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी?

(ग) क्या लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासन पर पूर्ण नियन्त्रण हो?

उत्तर- भारत में कार्यपालिका के दो प्रकार दिखाई देते हैं- एक राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होती है। इसमें मंत्रियों के रूप में जन-प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दूसरी स्थायी कार्यपालिका होती है। इसमें नौकरशाह (सरकारी कर्मचारी) होते हैं। ये अपने क्षेत्र में अनुभवी व विशेषज्ञ होते हैं। स्थायी नौकरशाही एक निश्चित राजनीतिक-प्रशासनिक वातावरण में कार्य करती है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक होता है। यह नौकरशाही की क्षमता को भी प्रभावित करती है। संसदात्मक कार्यपालिका में यह सम्भव नहीं है कि प्रशासनिक संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्त हों व उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप का कोई प्रभाव न हो। यह निश्चित है कि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप अगर न हो तो प्रशासनिक संस्थाओं की क्षमता अवश्य बढ़ेगी। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र में जन-प्रतिनिधि जनता के हितों के रक्षक माने जाते हैं तथा प्रशासनिक कर्मचारियों व प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व है कि जन-प्रतिनिधियों के निर्देशन में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए नीति-निर्माण करें। अतः आवश्यक सलाह को हस्तक्षेप नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह तो संसदात्मक सरकार के ढाँचे की अनिवार्यता है। जनहित के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक कार्यपालिका व स्थायी नौकरशाही तालमेल बिठाकर अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर कार्य करें।

प्रश्न 10. नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए। इस विषय पर 200 शब्दों में एक लेख लिखें।

उत्तर- निर्वाचित प्रशासन का अर्थ विश्व के लगभग सभी देशों में प्रशासन स्थायी कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है जो योग्यता तथा खुली प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। ये कर्मचारी या अधिकारी स्थायी रूप से पद पर बने रहते हैं और उन्हें पद प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, इसीलिए उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ये नियुक्ति आधारित प्रशासन का गठन करते हैं। यदि प्रशासन के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाए और कर्मचारी को प्रत्येक चार-पाँच वर्ष बाद चुनाव लड़ना पड़े और यह भी आवश्यक नहीं कि वह पुन: इस पद पर चुना जाए तो इसे निर्वाचित प्रशासन कहा जाएगा।

©JCERT not to be republished

नियुक्त प्रशासन ही उचित तथा लाभदायक है-

नियुक्त प्रशासन के स्थान पर निर्वाचित प्रशासन अच्छा तथा लाभदायक नहीं हो सकता, नियुक्त प्रशासन ही उचित होता है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं-

1. प्रशासन एक कला है जिसके लिए विशेष योग्यता तथा जानकारी की आवश्यकता होती है और स्थायी रूप से एक ही प्रकार का कार्य करने से व्यक्ति में अनुभव व निपुणता आती है। यह योग्यता निर्वाचित व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती।

2. स्थायी कर्मचारी राजनीति में भाग न लेकर राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशानुसार शासन चलाते हैं, किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य नहीं करते। निर्वाचित स्थिति प्राप्त करने पर वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और प्रशासनिक कार्य राजनीतिक भेदभाव के आधार पर करेंगे।

3. यदि निर्वाचित कर्मचारी तथा राजनीतिक कार्यपालिका के बीच राजनीतिक विचारधारा के आधार पर विरोध हो तो कर्मचारी मंत्री के आदेशों का पालन न करके खुले रूप में उनका विरोध करेगा, मंत्री के आदेश का पालन नहीं करेगा और प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा।

4. निर्वाचित कर्मचारी प्रशासन के काम में रुचि न लेकर अगले चुनाव में विजय प्राप्त करने की जोड़-तोड़ में लग जाएंगे क्योंकि उनका भविष्य अगले चुनाव पर निर्भर करेगा। इसके विपरीत नियुक्त कर्मचारी को उस पद पर स्थायी तौर पर रहना है और उसकी पदोन्नति अच्छे कार्यों पर निर्भर करेगी।

© JCERT not to be republished